

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 175]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 18 अप्रैल 2022—चैत्र 28, शक 1944

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2022

क्र. एफ-5-6-2020-उनतीस-2.- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 74 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल में एक मध्यस्थता प्रकोष्ठ स्थापित करती है.

2. मध्यस्थता प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग से संबद्ध होगा और जिसकी अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी.

3. मध्यस्थता प्रकोष्ठ में मध्यस्थों का एक पैनल होगा, जो मध्यस्थों की ऐसी संख्या से मिलकर बनेगा, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाए, जो आयोग के अध्यक्ष और उस आयोग के वरिष्ठतम सदस्य से मिलकर बनने वाली एक चयन समिति की अनुशांसा पर चयनित किए जाएंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. के. चन्देल, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2022

क्र. एफ-5-6-2020-उनतीस-2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18 अप्रैल 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. के. चन्देल, उपसचिव.

Bhopal, the 18th April 2022

No. F 5-6 /2020/29-2, In exercise of powers conferred by sub- section (1) of section 74 of the Consumer Protection Act, 2019, the State Government hereby establishes a Mediation Cell in the State Consumer Disputes Redressal Commission, Bhopal.

2. The Mediation Cell shall be attached to the State Consumer Disputes Redressal Commission and headed by the President of that Commission.

3. The Mediation Cell shall have a panel of mediators, consisting of such number of mediators, as may be decided by the President, who shall be selected on the recommendation of a selection committee consisting of the President and senior most Member of that Commission.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. K. CHANDEL, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2022

क्र. एफ-5-6-2020-29-2.- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 74 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्वारा, निम्नलिखित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोगों में मध्यस्थता प्रकोष्ठ स्थापित करती है, अर्थात:-

क्र.	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग
1.	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल क्रमांक-1
2.	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल क्रमांक-2
3.	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, इंदौर क्रमांक-1
4.	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, इंदौर क्रमांक-2
5.	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, जबलपुर क्रमांक-1
6.	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, जबलपुर क्रमांक-2
7.	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, रीवा
8.	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, ग्वालियर
9.	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, उज्जैन
10.	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, सागर
11.	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, होशंगाबाद
12.	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, मुरैना
13.	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, गुना
14.	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, धार
15.	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, मंदसौर
16.	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, सतना

17.	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, खण्डवा
18.	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, दमोह
19.	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, विदिशा
20.	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, शिवपुरी
21.	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भिण्ड
22.	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, छिंदवाडा
23.	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, रतलाम
24.	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, कटनी
25.	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, छतरपुर
26.	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, सीहोर
27.	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, रायसेन
28.	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, देवास
29.	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, मण्डला
30.	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, डिण्डौरी
31.	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, नरसिंहपुर
32.	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, सीधी
33.	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, शहडोल
34.	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, अनूपपुर
35.	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, शाजापुर
36.	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, बैतुल
37.	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, राजगढ़
38.	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, अशोकनगर
39.	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, बड़वानी
40.	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, खरगोन (मण्डलेश्वर)
41.	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, नीमच
42.	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, हरदा
43.	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, बुरहानपुर
44.	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, श्योपुर
45.	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, दतिया
46.	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, सिवनी
47.	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, बालाघाट

48.	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, झाबुआ
49.	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, पन्ना
50.	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, टीकमगढ़
51.	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, उमरिया

2/ मध्यस्थता प्रकोष्ठ संबंधित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग से सम्बद्ध होगा और जिसकी अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

3/ मध्यस्थता प्रकोष्ठ में मध्यस्थों का एक पैनल होगा, जो मध्यस्थों की ऐसी संख्या से मिलकर बनेगा, जैसा की अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाए, जो आयोग के अध्यक्ष और उस आयोग के वरिष्ठतम सदस्य से मिलकर बनने वाली एक चयन समिति की अनुशंसा पर चयनित किए जाएंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. के. चन्देल, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2022

क्र. एफ-5-6-2020-उनतीस-2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18 अप्रैल 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. के. चन्देल, उपसचिव.

Bhopal, the 18th April 2022

No. F 5-6 /2020/29-2, In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 74 of the Consumer Protection Act, 2019, the State Government hereby establishes a Mediation Cell in the following District Consumer Disputes Redressal Commission namely:-

No.	District Consumer Disputes Redressal Commission
1.	District Consumer Disputes Redressal Commission, Bhopal-1
2.	District Consumer Disputes Redressal Commission, Bhopal-2
3.	District Consumer Disputes Redressal Commission, Indore-1
4.	District Consumer Disputes Redressal Commission, Indore-2
5.	District Consumer Disputes Redressal Commission, Jabalpur-1
6.	District Consumer Disputes Redressal Commission, Jabalpur-2
7.	District Consumer Disputes Redressal Commission, Rewa
8.	District Consumer Disputes Redressal Commission, Gwalior
9.	District Consumer Disputes Redressal Commission, Ujjain
10.	District Consumer Disputes Redressal Commission, Sagar
11.	District Consumer Disputes Redressal Commission, Hoshangawad
12.	District Consumer Disputes Redressal Commission, Morena
13.	District Consumer Disputes Redressal Commission, Guna
14.	District Consumer Disputes Redressal Commission, Dhar
15.	District Consumer Disputes Redressal Commission, Mandsaur
16.	District Consumer Disputes Redressal Commission, Satna
17.	District Consumer Disputes Redressal Commission, Khandwa
18.	District Consumer Disputes Redressal Commission, Damoh
19.	District Consumer Disputes Redressal Commission, Vidisha
20.	District Consumer Disputes Redressal Commission, Shivpuri
21.	District Consumer Disputes Redressal Commission, Bhind
22.	District Consumer Disputes Redressal Commission, Chhindwara
23.	District Consumer Disputes Redressal Commission, Ratlam
24.	District Consumer Disputes Redressal Commission, Katni
25.	District Consumer Disputes Redressal Commission, Chhatarpur
26.	District Consumer Disputes Redressal Commission, Sehore
27.	District Consumer Disputes Redressal Commission, Raisen
28.	District Consumer Disputes Redressal Commission, Dewas
29.	District Consumer Disputes Redressal Commission, Mandla
30.	District Consumer Disputes Redressal Commission, Dindori
31.	District Consumer Disputes Redressal Commission, Narsinghpur
32.	District Consumer Disputes Redressal Commission, Sidhi
33.	District Consumer Disputes Redressal Commission, Shahdol
34.	District Consumer Disputes Redressal Commission, Anoopur
35.	District Consumer Disputes Redressal Commission, Shajapur
36.	District Consumer Disputes Redressal Commission, Betul
37.	District Consumer Disputes Redressal Commission, Rajgarh
38.	District Consumer Disputes Redressal Commission, Ashoknagar

39.	District Consumer Disputes Redressal Commission, Barwani
40.	District Consumer Disputes Redressal Commission, Khargone (Mandleshwar)
41.	District Consumer Disputes Redressal Commission, Neemuch
42.	District Consumer Disputes Redressal Commission, Harda
43.	District Consumer Disputes Redressal Commission, Burhanpur
44.	District Consumer Disputes Redressal Commission, Sheopur
45.	District Consumer Disputes Redressal Commission, Datia
46.	District Consumer Disputes Redressal Commission, Seoni
47.	District Consumer Disputes Redressal Commission, Balaghat
48.	District Consumer Disputes Redressal Commission, Jhabua
49.	District Consumer Disputes Redressal Commission, Panna
50.	District Consumer Disputes Redressal Commission, Tikamgarh
51.	District Consumer Disputes Redressal Commission, Umaria

2. The Mediation Cell shall be attached to the concerning District Consumer Disputes Redressal Commission and headed by the President of that Commission.

3. The Mediation Cell shall have a panel of mediators, consisting of such number of mediators, as may be decided by the President, who shall be selected on the recommendation of a selection committee consisting of the President and senior most Member of that Commission.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. K. CHANDEL, Dy. Secy.